# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607


क्रमांक : 1135/अका.का.प/2021 रायपुर, दिनांक 21 /01/2021

## विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की छप्पनवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 29.01.2021 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.11.2020 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।** (पृष्ठ क्र 1 से 5 तक)

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.11.2020 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

टीप : पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. **विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त प्राध्यापकों के अवकाश नगदीकरण की सूचना ग्रहण करना।**

टीप : विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त प्राध्यापकों के अवकाश लेखे में शेष अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में भुगतान किया गया है :–

(1) डॉ. एस.सी. नैथानी – 1611904/–
(2) डॉ. सरला शर्मा – 1678337/–
(3) डॉ. प्रोमिला सिंह – 1955072/–
(4) डॉ. विजया कोचे – 894208/–
(5) डॉ. मिताश्री मित्रा – 1955072/–

कुल– 8094593/–

(रुपए अस्सी लाख चौरानबे हजार पाँच सौ तिरानबे मात्र)

उक्त दर्शित शिक्षकों को अवकाश नगदीकरण भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

4. **विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों का उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा का अंतिम शेष ब्याज सहित भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उनके सामान्य निधि खाते में जमा का अंतिम शेष निम्नानुसार :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | डॉ. मिताश्री मित्रा | 2292661/– |
| 2 | डॉ. एस.सी. नैथानी | 3439958/– |
| 3 | डॉ. प्रोमिला सिंह | 2949455/– |
| 4 | डॉ. सरला शर्मा | 1891741/– |
| 5 | डॉ. प्रभा रोहतगी | 3166878/– |
| 6 | श्री अभयराम साहू | 338210/– |
| | **कुल राशि रुपए –** | **1,40,78903/–** (रुपए एक करोड़ चालीस लाख अठत्तर हजार नौ सौ तीन मात्र) |

उक्त दर्शित शिक्षकों/कर्मचारी इनके सामान्य भविष्य निधि खाते में सेवानिवृत्ति के तिथि में जमा अंतिम शेष ब्याज सहित नाम के सम्मुख दर्शित अनुसार माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

5. **विश्वविद्यालय सामान्य मद में सत्र 2020–21 हेतु राशि पुनर्विनियोजित करने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : वित्तीय सत्र 2020–21 हेतु सामान्य मद (20) Additional Provision for Land Acquisition के प्रावधानित राशि रु. 200.00 लाख के शेष उपलब्ध से सामान्य मद 6 Non- Recuring Expenditure (ii) Other Machines/Computer राशि रु. 8.00 लाख स्थानांतरण कर पुनर्विनियाजित करने हेतु निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तावित है –

| क्र. | मद विवरण | प्रावधानित राशि (लाख में) | राशि में वृद्धि पश्चात् (लाखों में) | निम्न मद से पुनर्नियोजन प्रस्ताव | औचित्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1. | 6 Non- Recuriring Expenditure (ii) Other Machines/Computer | 16.00 | 24.00 (रु. 08.00 लाख की वृद्धि) | A Gen Administration (20) Additional Provisional for Land Acuisition | फ्रंकिंग मशीन क्रय एवं अन्य भुगतान संबंधित |

<u>सामान्य प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

6. **विश्वविद्यालय कुलसचिव, उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव को पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान का लाभ दिए जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : कुलसचिव, उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव को पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान का लाभ प्रदाय के संबंध में छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर के वित्त निर्देश 50/2018 एवं पत्र क्रमांक 788/F-01002199/L-11-2 /ब–4/चार, दिनांक 05.09.2018 का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.11.2020 में हुआ है।

छत्तीसगढ़ राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 के प्रावधानानुसार राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारियों कुलसचिव, उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर के वित्त निर्देश 18/2017 पत्र क्रमांक 224/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार दिनांक 19.05.2017 के अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3530/स्था./सा.प्रशा./2020 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

अतः विश्वविद्यालयीन कुलसचिव, उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3530/स्था./सा.प्रशा./2020 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

7. **डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला के धारणाधिकार समाप्त किए जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, संबलपुर (ओड़िशा) में कुलपति पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप इन्हें इस कार्यालय के आदेश क्र. 2779/स्था./सा.प्रशा./2017 दिनांक 25.07.2017 के द्वारा दिनांक 25.07.2017 से 03 वर्ष के लिए, आदेश क्र. 1436/स्था./सा.प्रशा./2020 दिनांक 02.07.2020 के द्वारा दिनांक 25.07.2020 से 24.10.2020 तक एवं आदेश क्र. 3543/स्था./सा.प्रशा./2020 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा दिनांक 25.10.2020 से 30.11.2020 तक धारणाधिकार स्वीकृत किया गया था। इस तरह इन्हें दिनांक 25.07.2017 से 30.11.2020 तक धारणाधिकार स्वीकृत किया गया था।

डॉ. ए.के. पति, द्वारा गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, संबलपुर में कुलपति पद से दिनांक 27.11.2020 को कार्यमुक्त होकर इस विश्वविद्यालय में दिनांक 28.11.2020 को पूर्वाह्न से अपने मूल पद प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला में पदभार ग्रहण कर लिए हैं।

अतः डॉ. ए.के. पति द्वारा अपने मूल पद प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला के पद पर दिनांक 28.11.2020 को पदभार ग्रहण किए जाने के फलस्वरुप इन्हें स्वीकृत धारणाधिकार को दिनांक 28.11.2020 से समाप्त किए जाने के संबंध में प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।)

## विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. **विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था के संबंध में विचार करना।**

टीप : (1) विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था हेतु निविदा सूचना क्र. 223/विकास/निसू./2020 रायपुर, दिनांक 14/08/2020 किया गया था। पर्याप्त मात्रा में निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः निविदा क्र.258/विकास/निसू./2020 रायपुर, दिनांक 29/09/2020 जारी किया गया था।

पूर्व में हुए अनुबंध अनुसार कार्यकाल 31.10.2020 को समाप्त हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 01.11.2020 से 31.12.2020 तक समय वृद्धि किया गया था।

(2) साफ–सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य कर रहे फर्म का कार्यकाल दिनांक 31/12/2020 को समाप्त होने के कारण विभागीय/केंद्रीय क्रय समिति द्वारा किए गए अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य हेतु दिनांक 01/01/2021 से 31/12/2021 तक 01 वर्ष के लिए New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के नाम से कार्य आदेश क्र. 418/विकास/सफाई कार्य/2020 रायपुर, दिनांक 31/12/2020 जारी किया गया है।

अतः कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

9. **विश्वविद्यालय परिसर व भवनो के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विचार करना।**

टीप : (1) विश्वविद्यालय परिसर व भवनो के सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा सूचना क्र. 223/विकास/निसू./2020 रायपुर, दिनांक 14/08/2020 किया गया था। पर्याप्त मात्रा में निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः निविदा क्र.258/विकास/निसू./2020 रायपुर, दिनांक 29/09/2020 जारी किया गया था।

पूर्व में हुए अनुबंध अनुसार कार्यकाल 31.10.2020 को समाप्त हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 01.11.2020 से 31.12.2020 तक समय वृद्धि किया गया था।

(2) सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य कर रहे फर्म का कार्यकाल दिनांक 31/12/2020 को समाप्त होने के कारण विभागीय/केंद्रीय क्रय समिति द्वारा किए गए अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य हेतु दिनांक 01/01/2021 से 31/12/2021 तक 01 वर्ष के लिए New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp.Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के नाम से कार्य आदेश क्र.416/विकास/सु0व्यव0/2020 रायपुर, दिनांक 31/12/2020 जारी किया गया है।

अतः कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

## अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव

10. **शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को विधि विषय में शोध–केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : विधि विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 05.12.2020 के निर्णयानुसार शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को विधि विषय में शोध–केंद्र की मान्यता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। (बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न) रिवाइज्ड रेगुलेशन नंबर–107 की कंडिका–08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

11. **Ph.D. Eligibility Certificate की वैधता समय वृद्धि के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : कोरोना संक्रमण की परिस्थिति के कारण शैक्षणिक प्रक्रिया बाधित होने के कारण Ph.D. Eligibility Certificate की वैधता तिथि में 6 माह की वृद्धि करने हेतु पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा में सफल छात्रों को Ph.D. Eligibility Certificate जारी की जाती है, जिसकी वैधता तिथि 2 वर्ष होती है। कोरोना महामारी के कारण शोध कार्य हेतु पंजीयन की प्रक्रिया बाधित हुई है। ऐसी स्थिति में शोधार्थियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर Ph.D. Eligibility Certificate की वैधता 6 माह बढ़ाई जा सकती है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>कंप्यूटर केंद्र गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव</u>

12. **विश्वविद्यालय के सर्वर के AMC, Antivirus/Anti Spyware वार्षिक रखरखाव का कार्य एवं Up-gradation of Webmail from prsu.org.in to prsu.ac.in के कार्य हेतु M/S Key Computers, नागपुर को रु. 5,20,936.00 (रुपए पाँच लाख बीस हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यादेश क्रमांक 967/RSU-CAN/2019 Raipur Dated 15/04/2019, एवं 1451/RSU-CAN/2019 Raipur Dated 18-05-2020 सर्वर के AMC, Antivirus/Anti Spyware वार्षिक रखरखाव का कार्य एवं 211/DEVELOPMENT/2020 Raipur Dated 09-07-2020 Up-gradation of Webmail from prsu.org.in to prsu.ac.in के कार्य हेतु M/S Key Computers, नागपुर को कार्यादेश जारी किया गया था। आदेश के परिपालन में कंपनी द्वारा समयावधि में कार्य सफलतपूर्वक संतोषप्रद संपन्न किया। उक्त कार्य के दिनांक 13.12.2019 से 12.03. 2020 एवं 13.03.2020 से 12.06.2020 तक के समयावधि के देयक भुगतान की राशि रुपए 5,20,936.00 (रुपए पाँच लाख बीस हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>मूलविज्ञान केंद्र से संबंधित प्रस्ताव</u>

13. **मूलविज्ञान केंद्र के द्वितीय तल में निर्माणाधीन सेमीनार हॉल का नाम भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति व वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखे जाने बाबत्।**

<u>टीप</u> : डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के विज्ञान एवं राष्ट्र के प्रति योगदान अविस्मरणीय है। अतः आदरांजलि स्वरूप मूलविज्ञान केंद्र के नवनिर्मित सेमिनार हॉल का नामकरण 'डॉ. ए. पी.जे. अब्दुल कलाम हॉल' किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

14. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार

21.1.21

**कुलसचिव**

**पृ. क्रमांक : 1136 /अका.का.प/2021** **रायपुर, दिनांक 21 /01/2021**

**प्रतिलिपिः–**

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

**विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)**

# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607


क्रमांक : 702 /अका./का.प/2020 रायपुर, दिनांक 03/11/2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की पचपनवीं बैठक मंगलवार दिनांक 03.11.2020 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

**प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. एस.के. जाधव | – सदस्य | 8. | डॉ. समीर ठाकुर | – सदस्य |
| 2. | डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा | – सदस्य | 9. | डॉ. के.एन. शर्मा | – सदस्य |
| 3. | डॉ. कल्लोल कुमार घोष | – सदस्य | 10. | श्री राजेश कुमार सिसोदिया | – सदस्य |
| 4. | डॉ. (श्रीमती) नंदा गुरवारा | – सदस्य | 11. | डॉ. अमिताभ पाण्डेय | – सदस्य |
| 5. | डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल | – सदस्य | 12 | डॉ. एस.आर. गुप्ता | – सदस्य |
| 6. | डॉ. भजन सिंह छाबड़ा | – सदस्य | 13. | श्री गोविंद कुमार चंद्राकर | – सदस्य |
| 7. | डॉ. ममता शर्मा | – सदस्य | 14. | डॉ. एम.एल. नायक | – सदस्य |

**डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव**

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.09.2020 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **संपुष्टि की गई।**

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.09.2020 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **सूचना ग्रहण की गई।**

3. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.10.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

## विधिक प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :–

4. स्थानीय न्यायालयों के पैनल अधिवक्ताओं के मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: **स्थानीय न्यायालय में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं का मानदेय प्रतिमाह राशि रुपए 6000/– (रुपए छः हजार मात्र) में 25 प्रतिशत वृद्धि किए जाने व रुपए 1500/– (रुपए एक हजार पाँच सौ मात्र) अन्य व्यय दिए जाने का अनुमोदन किया गया।**

## सामान्य प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. डॉ. प्रदीप कुमार दुबे, श्री विजय कुमार पाण्डेय एवं श्री सुशांत कुमार अवस्थी, तकनीकी सहायकों के पेंशन प्रकरण निराकरण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. प्रदीप कुमार दुबे, श्री विजय कुमार पाण्डेय एवं श्री सुशांत कुमार अवस्थी, तकनीकी सहायकों के पेंशन प्रकरण पर उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर द्वारा पद एवं वेतनमान स्वीकृति तिथि वर्ष 2012 से संशोधित करते हुए वेतन निर्धारण कर पेंशन प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।**

6. सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **छत्तीसगढ़ शासन के वित्त निर्देश 21/2020, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर का पत्र क्र. 372/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 29.07.2020 के अनुसार परिनियम क्रमांक 31 की कंडिका 5(1) में आवश्यक संशोधन किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

7. डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के धारणाधिकार की अवधि में वृद्धि के संबंध में।

निर्णय : **डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके आवेदन दिनांक 22.10.2020 के अनुक्रम में दिनांक 25 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक धारणाधिकार की अवधि में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

## अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव

8. महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध–केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध–केंद्र की अस्थाई मान्यता प्रदान की गई।**

## वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव

9. डॉ. एस.के. सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. एस.के. सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, साख्यिकी अध्ययनशाला के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा अंतिम शेष रु. 27,33,301/– (रुपए सत्ताईस लाख तैंतीस हजार तीन सौ एक मात्र) भुगतान पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।**

10. **सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से अंतिम भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

निर्णय : **विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि में जमा अंतिम शेष निम्नानुसार :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती लता दुबे, सेवानिवृत्त चपरासी | 4,49,871.00 |
| 2 | श्रीमती कुमारी बाई, सेवानिवृत्त, माली | 3,45,515.00 |
| 3 | श्रीमती मैना बाई, सेवानिवृत्त हॉस्टल सर्वेंट | 3,62,608.00 |
| 4 | श्री नंद कुमार, सेवानिवृत्त स्वच्छक | 2,26,198.00 |
| 5 | श्री राकेश कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी लिपिक | 11,92,646.00 |
| | कुल राशि रुपये = | 25,76,838.00 |

**उपर्युक्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में सेवानिवृत्ति के तिथि में जमा रुपए 25,76,838.00 (रुपए पच्चीस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ अड़तीस मात्र) अंतिम शेष भुगतान पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।**

11. बजट सत्र 2020–21 में Additional Provision for Land Acquisition के मद 2.00 करोड़ (रुपए दो करोड़ मात्र) से 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) Scholarship awarded By University मद में छात्रवृत्ति हेतु स्थानांतरण किए जाने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : बजट सत्र 2020–21 में Additional Provision for Land Acquisition के मद 2.00 करोड़ (रुपए दो करोड़ मात्र) से 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) Scholarship awarded By University मद में छात्रवृत्ति हेतु स्थानांतरण किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

<u>गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव</u>

12. सेमेस्टर परीक्षा एवं बी.एड्./पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए. 2020 हेतु परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि रुपए 9,50,000.00 (रुपए नौ लाख पचास हजार मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : सेमेस्टर परीक्षा एवं बी.एड्./पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए. 2020 हेतु परीक्षा केंद्र अग्रिम राशि रुपए 9,50,000.00 (रुपए नौ लाख पचास हजार मात्र) का अनुमोदन किया गया।**

## <u>पूरक विषयसूची</u>

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 02.11.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

**निर्णय : अनुमोदन किया गया।**

<u>गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

2. विश्वविद्यालय वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा 2020 में संलग्न शिक्षकों के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.10.2020 के निर्णयानुसार– कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति में जिन वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा 2020 स्नातक स्तर के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा के स्थान पर Assignment कार्य निर्देशानुसार महाविद्यालय स्तर पर लिया जा रहा है उस Assignment कार्य के लिए मूल्यांकनकर्ता को प्रति उत्तरपुस्तिका राशि रुपए 07 (रुपए सात मात्र) पारिश्रमिक दर निर्धारित करने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**

3. गोपनीय मुद्रण भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : वर्ष 2019–20 की मुख्य परीक्षा (मार्च–अप्रैल 2020) एवं सेमेस्टर परीक्षा (मई–जून 2020) के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अनुबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक 28,66,451.00 (रुपए अठाईस लाख, छैंसठ हजार, चार सौ इक्यावन मात्र) के भुगतान का अनुमोदन किया गया।**

<u>विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव</u>

4. आई टाईप, एच टाईप, शिक्षक आवास को कर्मचारियों के कार्यक्रम हेतु दर निर्धारण करने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : आई टाईप, एच टाईप, शिक्षक आवास को कर्मचारियों के कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार दर का अनुमोदन किया गया –**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(1)** | **आई टाईप आवास** | **–** | **रु. 1000/– प्रति दिवस** |
| **(2)** | **एच टाईप आवास** | **–** | **रु. 2000/– प्रति दिवस** |
| **(3)** | **शिक्षक आवास** | **–** | **रु. 3000/– प्रति दिवस** |

## सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. विश्वविद्यालयीन कुलसचिव, उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव को पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान का लाभ दिए जाने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर के वित्त निर्देश 50/2018, पत्र क्रमांक 788/F-01002199/ब–4/चार, दिनांक 05.09.2018 विश्वविद्यालयीन कुलसचिव, उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव को पुनरीक्षित (7वाँ) वेतनमान का लाभ दिए जाने का अनुमोदन किया गया।**

## अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द को राजनीति विज्ञान विषय में शोध–केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द को राजनीति विज्ञान विषय में शोध–केंद्र की अस्थाई मान्यता प्रदान की गई।**

## वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

7. वित्तीय वर्ष 2020–21 में आबंटित राशि से प्रिंट पुस्तकों के क्रय हेतु अनुमानित राशि रुपए 20.00 लाख (रुपए बीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में Indian Publications के लिए अधिकतम छूट Tripathi Books Distributors, Allahabad से 33% एवं Foreign Publications के लिए अधिकतम छूट Techniz Books International, New Delhi से 38.15% दर से पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ पुनः इसी फर्म एवं दर से वित्तीय वर्ष 2020–21 में आबंटित राशि से प्रिंट पुस्तकों के क्रय हेतु अनुमानित राशि रुपए 20.00 लाख (रुपए बीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।**

8. मूल्यांकन केंद्रों के लिए अग्रिम राशि रुपए 1,55,96,868.00 (रुपए एक करोड़ पचपन लाख छियानबे हजार आठ सौ अड़सठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : समस्त मूल्यांकन केंद्रों के लिए कुल अग्रिम राशि भुगतान 1,94,96,085.00 (रुपए एक करोड़ चौरानबे लाख छियानबे हजार पच्यासी मात्र) दिया जाना है, जिसकी 80 प्रतिशत अर्थात् रुपए 1,55,96,868.00 (रुपए एक करोड़ पचपन लाख छियानबे हजार आठ सौ अड़सठ मात्र) भुगतान किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

## विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के लिए अनुबंधित फर्म को 2 माह की वृद्धि के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : अतः विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 02 माह दिनांक 01.11.2020 से 31.12.2020 तक के लिए पूर्व के समान स्वीकृत दर एवं शर्तों के साथ New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के कार्यकाल में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

## विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास केंद्र से संबंधित प्रस्ताव

10. उपसंचालक एवं सहायक संचालक पदनाम के स्थान पर क्रमशः एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पदनाम परिवर्तन किए जाने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय : उपसंचालक एवं सहायक संचालक पदनाम के स्थान पर क्रमशः एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पदनाम परिवर्तन किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

## जैविकी अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव

11. जैविकी अध्ययनशाला हेतु UV-Vis Spectro Photometer क्रय किए जाने हेतु राशि रुपए 6,03,750.00 (रुपए छह लाख तीन हजार सात सौ पचास मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **जैविकी अध्ययनशाला हेतु सामग्री को भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए UV-Vis Spectro Photometer क्रय किए जाने हेतु राशि रुपए 6,03,750.00 (रुपए छह लाख तीन हजार सात सौ पचास मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

1. विश्वविद्यालय परिसर में लान टेनिस सिंथेटिक कोर्ट निर्माण हेतु भुगतान की गई राशि रुपए 19,63,803/– (रुपए उन्नीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ तीन मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय परिसर में लान टेनिस सिंथेटिक कोर्ट निर्माण हेतु भुगतान की गई राशि रुपए 19,63,803/– (रुपए उन्नीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ तीन मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

2. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था के लिए अनुबंधित फर्म को 2 माह की वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 02 माह दिनांक 01.11.2020 से 31.12.2020 तक के लिए पूर्व के समान स्वीकृत दर एवं शर्तों के साथ New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के कार्यकाल में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

**अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।**

(हस्ताक्षर)
**कुलपति**
अध्यक्ष

(हस्ताक्षर) 3.11.20
**कुलसचिव**
सचिव

**पृ. क्रमांक : 703 /अका./का.प/2020** **रायपुर, दिनांक 03 /11/2020**

**प्रतिलिपि :–**

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
**विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)**